न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलोदी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी यशपाल आहुजा (आर.ए.एस.)

प्रार्थी
रामगोपाल पुत्र प्रभुलाल
जाति जोशी ब्राह्मण निवासी ग्राम गोपा
तहसील फलोदी जिला जोधपुर (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण
1. इब्राहीम पुत्र रजाक खां
जाति मुसलमान निवासी ग्राम गोपा
तहसील फलोदी जिला जोधपुर
2. तहसीलदार फलोदी
3. अभियंता, खनिज विभाग
राजस्थान सरकार बालेसर
तहसील बालेसर जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 628 /2018

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ललित जोशी एवं जे.पी. जोशी
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता विजय तंवर
3. अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार फलोदी स्वयं उपस्थित
4. अप्रार्थी सख्या 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक :– 19-11-19

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है ग्राम गोपा पटवार क्षेत्र बावडीकलां तहसील फलोदी में खेत खसरा नम्बर 129/1 रकबा 15 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम की सामलाती खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि की आई हुई है। उक्त भूमि में प्रार्थी की रहवासीय ढाणीया व नलकूप बने हुवे है उक्त भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 127 व 128 में पूर्व दिशा से बने रास्ता का उपयोग उपभोग प्रार्थी एवं उसका परिवार करता आ रहा है। जिसको रास्ता घोषित करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता विजय तंवर ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 का खातेदारी का खेत खसर नम्बर 127 है तथा खसरा नम्बर 128 खनिज विभाग की भूमि है प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता खनिज विभाग की भूमि खसरा नम्बर 128 में चाहा गया है इसलिये प्रार्थी खसरा नम्बर 127 के खातेदार अप्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

सख्यां 1 से किसी प्रकार का कोई रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है खसरा नम्बर 127 में से पूर्व से रोड़ निकली हुई है।

दौराने प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 128 के खातेदार खनिज अभियंता, खनिज विभाग, बालेसर को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया जो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभियंता खनिज विभाग बालेसर को प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सख्यां 3 के रूप में पक्षकार बनाये जाने का आदेश पारित किया गया तथा संशोधित प्रार्थना पत्र शीर्षक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया जिसकी पालना में प्रार्थी द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र शीर्षक प्रस्तुत किया। जो शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी सख्यां 3 की ओर से बावजुद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नही हुआ उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फलोदी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, तहसीलदार फलोदी द्वारा मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 127 की भूमि अप्रार्थी सख्यां 1 की खातेदारी की एवं खसरा नम्बर 128 की भूमि खनिज विभाग की भूमि होना बताया तथा खसरा नम्बर 127 में से डामर सड़क फलोदी से मयाकोरिया जाने वाली निकलना बताया। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 129/1 में आने जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 3 की भूमि खसरा नम्बर 128 में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित बताया। पत्रावली बहस में रखी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम गोपा पटवार क्षेत्र बावडीकलां तहसील फलोदी में खेत खसरा नम्बर 129/1 रकबा 15 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम की सामलाती खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि की आई हुई है। उक्त भूमि में प्रार्थी की रहवासीय ढाणीया व नलकूप बने हुवे है उक्त भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 128 में पूर्व दिशा से बने रास्ता का उपयोग उपभोग प्रार्थी एवं उसका परिवार करता आ रहा है। जिसको रास्ता घोषित करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी विधि अनुसार डी.एल.सी. दर के अनुसार भूमि का प्रतिकर न्यायालय हाजा द्वारा अवधारित करने पर अदा करने को तैयार है।

अप्रार्थी सख्यां 3 ने पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को गुणावगुण के आधार पर रास्ता दिया जाना न्यायोचित बताया।

अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी, नक्शा ट्रैस तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी को अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 129/1 की भूमि ग्राम गोपा पटवार क्षेत्र बावडीकलां तहसील फलोदी जिला जोधपुर में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 3 के खेत खसरा नम्बर 128 रकबा 09.09 बीघा में से प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं है। जो तहसीलदार फलोदी एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 129/1 रकबा 15 बीघा भूमि ग्राम गोपा पटवार क्षेत्र बावड़ीकलां तहसील फलोदी जिला जोधपुर तक पहुंचने के लिये निर्धारित प्रतिकर के संदाय पर अप्रार्थी संख्या 3 के खेत खसरा नम्बर 128 रकबा 09.09 बीघा भूमि में से 30 फुट चौड़ा व अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 127 में से 30 फुट चौडा रास्ता व पटवारी पटवार मण्डल बावडी कलां द्वारा जारी नक्शा ट्रैस की नकल दिनांक 14.07.2017 में प्रस्तावति रास्ता अनुसार लंबाई ज्ञात कर उक्त जितना रकबा रास्ता के उपयोग में आ रहा है उसकी डीएलसी दर की दुगुनी राशी प्रार्थी को ज्ञात करवाये ज्ञात राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवायी जाने पर प्रस्तुत मौका फर्द नजरी नक्शा अनुसार भूमि रास्ता के उपयोग हेतु प्रार्थी को दिलवायी जावें। पटवारी पटवार मण्डल बावडी कलां द्वारा जारी नक्शा ट्रैस की नकल दिनांक 14.07.2017 निर्णय का भाग रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 19.11.19 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा आर.ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी
फलोदी

उपखण्ड अधिकारी
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2019.12.14 11:58:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: